

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग
(अनुभाग-3, महात्मा गांधी नरेगा)



क्रमांक एफ 1(14)ग्रावि/नरेगा/वेज/2010

जयपुर, दिनांक 3 | MAY 2013

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषय महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत श्रमिकों को समय पर मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने बाबत।
संदर्भ विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 01.12.2010, 24.02.2011 एवं 30.05.2012

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा महात्मा गांधी नरेगा श्रमिकों की मजदूरी के समय पर भुगतान सुनिश्चित करने हेतु मस्टररोल ट्रेकिंग प्रणाली लागू की गई है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि मजदूरी भुगतान में विलम्ब किस स्तर पर हुआ है एवं इसके लिये कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है। विभाग की जानकारी में आया है कि मस्टररोल ट्रेकिंग प्रणाली का समुचित उपयोग नहीं किया जा रहा है। पंचायत समिति स्तर पर रजिस्टर 9ए का संधारण सम्बन्धित अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा नहीं किया जा रहा है।


इस सम्बन्ध में पूर्व में भी निर्देशित किया गया था कि जिला परिषद में परियोजना अधिकारी (लेखा) अधिशाषी अभियन्ता, (एमजीनरेगा)/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, जिला परिषद अथवा अन्य किसी योग्य अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया जाकर पंचायत समिति कार्यालय में संधारित मस्टररोल ट्रेकिंग रजिस्टर (रजिस्टर संख्या 9ए) का प्रत्येक सप्ताह में एक बार आकस्मिक निरीक्षण करवाकर भुगतान में विलम्ब करने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें, किन्तु इन निर्देशों की अनुपालना से अवगत नहीं कराया गया है।

अतः पुनः आपको निर्देशित किया जाता है कि मजदूरी भुगतान में विलम्ब न हो इसके लिये निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे :-

1. परियोजना अधिकारी (लेखा) को नॉडल ऑफिसर बनाया जावे।
2. रजिस्टर 9ए की नियमित समीक्षा हेतु वार्षिक कलैण्डर बनाया जावे।
3. मस्टररोल के पृष्ठ भाग पर अंकित प्रविष्टियों को भरा जावे।

4. मजदूरी राशि भुगतान में विलम्ब के लिये दोषी कार्मिकों पर एमजीनरेगा अधिनियम की धारा 25 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावे।
5. विभाग द्वारा श्रमिकों को भुगतान की समीक्षा एमआईएस के आधार पर की जावेगी। अतः जिला/पंचायत समिति स्तर पर भी भुगतान स्थिति की इसी एमआईएस आधार पर समीक्षा की जावे।


भवदीय



(सी.एस.राजन)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
2. अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
3. परियोजना अधिकारी (लेखा), ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
4. एमआईएस मैनेजर, ईजीएस को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।



परि.निदे.एवं उप सचिव, ईजीएस